भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2749
उत्तर देने की तारीख-09.03.2026
प्रधानमंत्री-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण

†2749. **श्री विजय कुमार हाँसदाक:**
कुमारी सैलजा:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 में पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के आरंभ से लेकर अब तक इसके माध्यम से आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त पोर्टल की शुरुआत से लेकर अब तक प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत, वापस लिए गए, संवितरित और लंबित शिक्षा ऋण आवेदनों की बैंकवार और राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है, साथ ही ऋण आवेदनों की औसत प्रक्रिया अवधि कितनी है और वर्ष 2024 से विलंब या अस्वीकृति संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और वास्तविक संवितरण के बीच महत्वपूर्ण अंतर के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-संपार्श्विक ऋणों से कम के शिक्षा ऋणों के लिए अवैध संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी की मांग के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;
(ङ) शिक्षा ऋण सुविधा के लिए औपचारिक रूप से सूचीबद्ध या बैंकों से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या कितनी है; और
(च) क्या टियर-II और टियर-III शहरों की संस्थाओं में सुविधा दर कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): शिक्षा समवर्ती सूची में है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर इसके सुधार के लिए कार्य करते हैं। भारत सरकार ने नवंबर 2024 में पीएम-विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरूआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न होना पड़े। इस योजना के अंतर्गत, उन सभी छात्रों को संपार्श्विक मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं

तथा इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 8 लाख रुपए तक की यह योजना 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। एक लाख तक नए छात्रों को, जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी नहीं मिल रही है, इस योजना के अंतर्गत यह ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है जिस पर सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सरल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल का संचालन दिनांक 25 फरवरी 2025 से शुरू हुआ। दिनांक 25 फरवरी 2025 से 02 मार्च 2026 के बीच, 68,000 से अधिक पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण संस्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत राशि 9118 करोड़ रुपए है। प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत, वितरित, वापस लिए गए/बंद किए गए/छात्र द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लंबित शिक्षा ऋण आवेदनों की संख्या राज्य-वार और बैंक-वार https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

स्वीकृत ऋण और वास्तविक संवितरण के बीच का अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि स्वीकृत राशि संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिए होती है, जबकि संवितरित राशि चालू वर्ष/वर्तमान सत्र पाठ्यक्रम के लिए होती है, जो शैक्षणिक संस्थान की शुल्क मांग पर निर्भर करती है।

पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in में, दिनांक 25 फरवरी 2025 और 28 फरवरी 2026 के दौरान कुल 26,683 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 25,061 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। प्राप्त कुल शिकायतों में से 123 शिकायतें ऋण आवेदनों में देरी या अस्वीकृति से संबंधित हैं। इनमें से 106 शिकायतों का समाधान पहले ही किया जा चुका है और उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, 10 शिकायतें पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत संपार्श्विक अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी मांग से संबंधित हैं, जिनमें से 4 ऋण आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है और उनका वितरण कर दिया गया है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुल 955 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) को शामिल किया गया है। यह टियर-I और टियर-II शहरों के छात्रों सहित सभी छात्रों पर लागू है जो इन क्यूएचईआई में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

*****